


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(10)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 18.02.2022 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 18.02.2022 द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के समग्र शिक्षा परियोजना के कार्यालयों में कनिष्ठ अभियन्ता पद पर चयनित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

उक्त समसंख्यक आदेश में क्रम संख्या: 2 पर अंकित "श्री मुकेश कुमार सैनी" के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(10)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 24.02.2022 की पालना में "श्री मुकेश कुमार सैनी" के स्थान पर "श्री मुनेष कुमार सैनी" पढ़ा जावें।


शेष शर्तें यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा/ राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13406/सस्व.शि.प./प्रतिनियुक्ति/2021/80 दिनांक: 24 FEB 2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), चुरू संभाग, चुरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनूं।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा/ राजस्थान
बीकानेर